।। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला भरतपुर।।

प्रैस–नोट

दिनांकः– 17.07.2017

पशु क्रूरता के मामले का आरोपी गिरफ्तार

7 पशुओं को मुक्त कर पिकअप को किया जप्त

1. **थाना भुसावरः–** श्री गोपालराम स0उ0नि0 मय जाप्ता द्वारा गस्त व नाकाबंदी के दौरान एन0एच0 21 खेडली मोड पर एक पिकअप गाडी नम्बर आरजे 14 जीई 6625 को रूकवाकर चैक किया तो पिकअप में 4 भैंस व 3 पाडा (कुल 7 पशु) निर्दयता पूर्वक ठसाठस भरे हुये मिले। जिस पर पिकअप चालक **1. वशीम पुत्र शौकत जाति मुसलमान निवासी हिण्डोनसिटी जिला करौली** को गिरफतार कर सभी पशुओं को मुक्त कराकर पिकअप गाडी को जप्त कर थाने पर मु0नं0 318/17 धारा 11(डी) पशु निवारण अधिनियम 1960 के तहत मामला पंजीबद्व किया गया है।

फरार शराब तस्कर पुलिस शिकंजे में

1. **थाना बयानाः–** दिनांक 30.06.2017 को श्री बसन्तसिंह उ0नि0 मय जाप्ता को कस्वा बयाना में वावर्दी आता देख आरोपी वीरेन्द्र पुत्र श्याम जाति गुर्जर निवासी शेरगढ थाना बयाना अवैध शराव को मौके पर ही छोड भाग गया था। पुलिस द्वारा मौके से 62 पव्वा अवैध देशी शराव को जप्त कर फरार आरोपी वीरेन्द्र के विरूद्व थाने पर मु0नं0 455/17 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्व किया गया था। श्री सूरजसिंह स0उ0नि0 द्वारा दौराने अनुसंधान उक्त मामले के नामजद फरार आरोपी **1. वीरेन्द्र पुत्र श्याम जाति गुर्जर निवासी शेरगढ थाना बयाना** को गिरफतार किया गया है।

अवैध खनन के मामले में ट्रैक्टर मालिक को किया गिरफ्तार

1. **थाना रूदावलः–** दिनांक 14 जून 2017 को श्री उदयसिंह हैड कानि0 द्वारा गस्त के दौरान वन संरक्षित क्षेत्र बंशीपहाडपुरी से अवैध खनन कर ट्रैक्टर–ट्रौली में ठेवी भरकर चोरी से ले जाते हुये पाये जाने पर आरोपी ट्रैक्टर चालक थानसिंह को गिरफतार कर कब्जे से ट्रैक्टर–ट्रौली को मय अवैध खनन सामग्री के जप्त कर थाना रूदावल पर मु0नं0 162/17 धारा 379 आईपीसी व 41, 42 फोरेस्ट एक्ट एवं 68 एम0एम0डी0आर0 तथा 4, 21 एम0एम0सी0आर0 एक्ट में पंजीबद्ध किया गया था। श्री प्रमेशकुमार हैड कानि0 द्वारा बाद अनुसंधान उक्त मामले के में ट्रैक्टर मालिक **1. दामोदर पुत्र भगवानदास जाति वैश्य निवासी जरगा थाना बसेडी जिला धौलपुर** को गिरफतार किया गया है।

दुष्कर्म के मामले का आरोपी पुलिस गिरफ्त में

1. **थाना खोहः–** नगला हरसुख थाना खोह निवासी एक महिला ने नगला के ही कल्लू पुत्र शिवराम जाति जाट के विरूद्व प्रार्थिया के साथ दुष्कर्म करने का एक मामला दिनांक 09 मई 2017 को थाना खोह पर मु0नं0 65/17 धारा 376 आई0पी0सी0 में पंजीवद्व कराया था। थानाधिकारी श्री भोजाराम उ0नि0 द्वारा बाद अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी **1. कल्लू पुत्र शिवराम जाति जाट निवासी नगला हरसुख थाना खोह** को गिरफतार किया गया है।

चोरी के मामले का आरोपी पुलिस पकड़ में

1. **थाना कुम्हेरः–** श्री नवाबसिंह हाल सिक्योरिटी अधिकारी मैक्स विजिल भरतपुर ने गांव अजान थाना उधोगनगर निवासी संजय पुत्र रामेश्वर जाति जाट वगैराह दो जनों के विरूद्व नगला कूम्हां (पैंघोर) में स्थित इण्डस मोबाईल टॉवर के एक बैट्रा को चोरी कर ले जाने का एक मामला कल दिनांक 16 जुलाई 2017 को थाना कुम्हेर पर मु0नं0 312/17 धारा 379 भा0द0स0 में पंजीवद्व कराया था। श्री भानूप्रताप हैड कानि0 द्वारा दौराने अनुसंधान उक्त मामल के नामजद आरोपी **1. संजय पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी अजान थाना उधोगनगर** को गिरफतार कर आरोपी से पूछताछ जारी है।

दहेज उत्पीडन के मामलों में 4 जनें सलाखों के पीछे

1. **थाना कामांः–** कस्वा कामां निवासी श्रीमति शहनाज पत्नी सानू उर्फ ताहिर पुत्री विन्दू जाति लुहार ने अम्बेडकर मूर्ति के पास कस्वा करौली निवासी अपने ससुरालीजनों के विरूद्व प्रार्थिया को दहेज के लिये प्रताडित कर घर से निकाल देने का एक मामला दिनांक 02.05.2017 को थाना कामां पर मु0नं0 167/17 धारा 498ए, 406 भा0द0सं0 में पंजीवद्व कराया था। श्री रामेश्वरदयाल उ0नि0 द्वारा दौराने अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी प्रार्थिया के पति **1. सानू उर्फ ताहिर पुत्र पप्पू जाति लुहार निवासी अम्बेडकर मूर्ति के पास कस्वा करौली** को गिरफतार किया गया है। **इसी प्रकार** गांव दांतका थाना कामां निवासी श्रीमति अफशीना पत्नी मौहम्मद पुत्री आशु जाति मेव ने गांव सिंगार थाना पुन्हाना जिला नूह मेवात हरियाणा निवासी अपने ससुरालीजनों के विरूद्व प्रार्थिया को दहेज के लिये प्रताडित कर घर से निकाल देने का एक मामला दिनांक 23.05.2017 को थाना कामां पर मु0नं0 209/17 धारा 498ए, 406 भा0द0सं0 में पंजीवद्व कराया था। श्री रामेश्वरदयाल उ0नि0 द्वारा दौराने अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी प्रार्थिया के पति **1. मौहम्मद पुत्र ईशाक जाति मेव निवासी सिंगार थाना पुन्हाना जिला नूह मेवात हरियाणा** को गिरफतार किया गया है।
2. **थाना गोपालगढः–** कस्वा गोपालगढ निवासी दो सगी बहिन श्रीमती रेखा पत्नि बलराम व श्रीमती बीना पत्नि रिन्कू पुत्रियां रूपसिंह जाति जाटव ने गांव खडखडी राणा थाना राजगढ जिला अलवर निवासी अपने ससुरालीजनों के विरूद्व प्रार्थियाओं को दहेज के लिये प्रताडित कर घर से निकाल देने के दो पृथक–पृथक मामले दिनांक 26.04.2017 को थाना गोपालगढ पर मु0नं0 क्रमशः 48, 49/17 धारा 498ए, 406 आईपीसी में दर्ज कराये थे। श्री गौरवकुमार उ0नि0 (प्रशिक्षु) द्वारा बाद अनुसंधान उक्त दोनों मामलों के नामजद आरोपी प्रार्थियाओं के पति दो सगे भाई **1. बलराम** व **2. रिन्कू पुत्रान घासीराम जाति जाटव निवासी खडखडी राणा थाना राजगढ जिला अलवर** को गिरफतार किया गया है।

2 स्थाई वारंटी पुलिस पकड़ में

1. **थाना पहाडीः–** थानाधिकारी श्री मुकेशचन्द पु0नि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर गांव तिलकपुरी से स्थाई वारंटी **1. जाकर पुत्र आसीना** व **2. आरिफ पुत्र सिरदार जातियान मेव निवासियान तिलकपुरी थाना पहाडी** को गिरफ्तार किया गया है।

मारपीट के मामले का आरोपी पुलिस गिरफ्त में

1. **थाना रूदावलः–** गांव कंजौली थाना रूदावल निवासी इन्दर पुत्र रामदेव जाति कुशवाह ने गांव के ही लखनलाल पुत्र गोपाल जाति कुशवाह के विरूद्व प्रार्थी के साथ मारपीट कर औरत को बेअदब करने का एक मामला दिनांक 14 जून 2017 को थाना रूदावल पर मु0नं0 200/17 धारा 323, 341, 354 भा0द0स0 में पंजीवद्व कराया था। श्री रामबाबू हैड कानि0 द्वारा दौराने अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी **1. लखनलाल पुत्र गोपाल जाति कुशवाह निवासी कंजौली थाना रूदावल** को गिरफतार किया गया है।

6 जुआरी बन्द हवालात

3020 रूपये बरामद

भरतपुर पुलिस द्वारा जिले में जुआ/सट्टेवाजों के विरूद्व चलाये जा रहे विशेष अभियान के दौरान कार्यवाही कर अलग–अलग स्थानों से 6 ब्यक्तियों को गिरफ्तार कर कब्जे से कुल 3020 रूपये नकद मय जुआ सामग्री के जप्त किये गये हैं।

1. **थाना पहाडीः–** पहाडी पुलिस द्वारा अलग–अलग स्थानों से **1. रशीद पुत्र मौजखां, 2. आसम पुत्र इस्माईल** व **3. बशीर उर्फ झुक्कू पुत्र नूर मौहम्मद, 4. जुबेर पुत्र मौजखां जातियान मेव निवासियान मूंगस्का थाना पहाडी** को क्रमशः 1015, 985 रूपये (कुल 2000 रूपये) मय जुआ सामग्री के गिरफ्तार कर मु0नं0 क्रमशः 164, 165/17 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किये गये हैं।

2. **थाना सीकरीः–** श्री जगदीश हैड कानि0 द्वारा गांव झंझार की पुलिया के पास से **1. मुस्ताक पुत्र अलीमौहम्मद** व **2. शौकीन पुत्र कासम जातियान मेव निवासियान झंझार थाना सीकरी** को 1020 रूपये मय जुआ सामग्री के गिरफ्तार कर मु0नं0 182/17 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

शराव पीकर उत्पात मचाने के आरोप में 12 जनें गिरफ्तार

1. **थाना डीगः–** श्री नवलकिशोर हैड कानि0 द्वारा थाने के सामने से 1. अनिल कुमार पुत्र डालचंद जाति वैश्य निवासी अऊ थाना डीग को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।

2. **थाना अटलबंदः–** थानाधिकारी श्री दीपक ओझा उ0नि0 द्वारा हीरादास चौराहा से 1. प्रभु पुत्र निनुआराम जाति कोली निवासी सुभाषनगर थाना कोतवाली भरतपुर, 2. खूबीराम पुत्र देवला जाति जाटव निवासी अनाह थाना सेवर, 3. जगदीश पुत्र बीधाराम जाति प्रजापत निवासी सुभाषनगर थाना कोतवाली भरतपुर, 4. पवन पुत्र खूबी जाति जाटव निवासी अऊ थाना डीग, 5. रहीस पुत्र इमामुदीन जाति मुसलमान निवासी सन्धी की धानी थाना इन्द्रागंज ग्वालियर, 6. हुकमसिंह पुत्र मूलीराम जाति जाटव निवासी झीलरा थाना सेवर, 7. भूपेन्द्र पुत्र विजयपाल जाति ठाकुर निावासी कस्वा सेवर, 8. नहीम ऊर्फ नईम पुत्र सलीम जाति मुसलमान निवासी आदर्श कॉलोनी थाना कोतवाली भरतपुर को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।

3. **थाना हलैनाः–** श्री रामगोपाल हैड कानि0 द्वारा बस स्टेण्ड कस्वा हलैना से 1. अशोक पुत्र बुद्वा जाति हरिजन निवासी समोगर थाना बयाना व 2. लक्खी पुत्र देबो जाति हरिजन निवासी कस्वा हलैना को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।

4. **थाना उद्योगनगरः–** श्री सुरेशकुमार स0उ0नि0 द्वारा खैकरण तिराहा से 1. प्रेम पुत्र मवासी जाति जाटव निवासी गढीमां थाना अछनेरा जिला आगरा हाल तूफानी मौहल्ला थाना कोतवाली भरतपुर को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।

शान्ति भंग करने के आरोप में 18 जनों को किया गिरफ्तार

1. **थाना उच्चैनः–** श्री मुकेशचंद हैड कानि0 द्वारा गांव चकखरका से 1. दिनेश पुत्र धर्मसिंह 2. महेश पुत्र शिवराम जातियान बंजारा निवासियान चकखरका थाना उच्चैन को गिरफ्तार किया गया है।

2. **थाना डीगः–** डीग पुलिस द्वारा अलग–अलग स्थानों से 1. सतीश कुमार पुत्र चिम्मनलाल जाति पंजाबी निवासी कस्वा डीग व 2. चन्द्रवीर पुत्र खैमसिंह जाति जाट निवासी सिनसिनी थाना डीग को गिरफ्तार किया गया है।

3. **थाना नदबईः—** श्री महेशचंद स0उ0नि0 द्वारा गांव गादौली से 1. उपेन्द्र पुत्र श्रीचंद जाति जाट निवासी गादौली थाना नदबई, 2. राजवीर पुत्र नत्थीसिंह, 3. विक्रम पुत्र केदार व 4. योगेन्द्र पुत्र राजवीर जातियान जाट निासियान परौली थाना कठूमर जिला अलवर को गिरफ्तार किया गया है।

4. **थाना कामांः—** श्री लक्ष्मनसिंह स0उ0नि0 द्वारा कस्वा कामां से 1. पंकज पुत्र सत्यनारायण जाति वैश्य निवासी कस्वा कामां को गिरफ्तार किया गया है।

5. **थाना पहाडीः—** थानाधिकारी श्री मुकेशचन्द पु0नि0 द्वारा थाना परिसर से 1. सब्बीर, 2. अरसद व 3. लियाकत पुत्रान इमरत जाति मेव निवासी जोधपुर थाना पहाडी को गिरफ्तार किया गया है।

6. **थाना उद्योगनगरः—** श्री सुरेशकुमार स0उ0नि0 द्वारा गांव तुहिया से 1. ओकेश व 2. रविन्द्र पुत्रान विष्णु उर्फ वितनू जातियान जाट निवासियान तुहिया थाना उद्योगनगर को गिरफ्तार किया गया है।

7. **थाना गोपालगढः—** श्री गौरवकुमार उ0नि0 (प्रशिक्षु) द्वारा गांव खेडली नौआबाद से 1. सौहनसिंह उर्फ सौनू पुत्र हीरासिंह जाति रायसिख निवासी खेडली नौआबाद थाना गोपालगढ को गिरफ्तार किया गया है।

8. **थाना कुम्हेरः—** श्री भानूप्रताप हैड कानि0 द्वारा थाना परिसर से 1. रामवीर, 2. जगदीश व 3. जगवीर पुत्रान पतोली जाति जाट निवासी तालफरा थाना कुम्हेर को गिरफ्तार किया गया है।

96 वाहन चालकों के खिलाफ की कार्यवाही

जिला भरतपुर में वाहन चालकों के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **96** वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की गई हैं। ओवरलोड में सभी प्रकार के वाहन दोपहिया, चौपहिया वाहनों के चालकों के खिलाफ यातायात नियमों के तहत कार्यवाही की गई है, जिससे ओवरलोड वाहनों से होंने वाली सडक दुर्घटनाओं से निजात मिल सके। ऑवरलोड कार्यवाही में **55** वाहन चालकों के चालान किये गये हैं। ऐसे वाहन चालक जो अपने वाहनों को नम्बर डाले वगैर सडकों पर दौडाते रहते हैं, और दुर्घटना करके भाग जाते हैं तथा चोरी के वाहनों का भी पता नहीं चल पाता है इसलिये बिना नम्बरी **14** वाहनों को जप्त किया गया है। इसी प्रकार अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन जैसे बिना हेलमेट लगाये वाहन चलाना, दो व्यक्ति से ज्यादा, प्रैसर हॉर्न, लालबत्ती लगाना, नो पार्किंग आदि के आरोप में **27** वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।